स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता एक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी राजनीतिक आदर्श है। लोकतान्त्रिक चिन्तनधारा के अन्तर्गत स्वतन्त्रता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। स्वतन्त्रता और समता को बुनियादी लोकतान्त्रिक मूल्य या आदर्श माना जाता है। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को इसलिए पसन्द किया जाता है और इसका समर्थन भी इसलिए किया जाता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत नागरिकों को अधिकतम **स्वतन्त्रता** मिलती है, और प्रत्येक नागरिक को एक समान महत्त्व दिया जाता है। इसके अलावा, मानवतावादियों के द्वारा भी स्वतंत्रता को एक बुनियादी राजनीतिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानवतावादियों द्वारा आम तौर से स्वतन्त्रता, मानव अधिकारों और लोकतन्त्र का समर्थन किया जाता है।

''स्वतन्त्रता'' का अर्थ हैं ''रुकावट या बन्धनों का अभाव''। अंग्रेजी शब्द "liberty", लैटिन शब्द "liber" से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ हैं—''बन्धनों का नहीं होना''।

नीतिशास्त्र के अन्तर्गत या नैतिक सन्दर्भों में ''संकल्प की स्वतन्त्रता'' (freedom of will) की चर्चा भी की जाती है। ''संकल्प-स्वातन्त्र्य'' का अर्थ होता है अपने सामने मौजूद कई विकल्पों में से किसी एक को चुनने की **आन्तरिक** स्वतन्त्रता।

लेकिन जब सामाजिक और राजनीतिक सन्दर्भों में ''स्वतन्त्रता'' की चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर ''संकल्प की स्वतन्त्रता'' से तात्पर्य नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर ''स्वतन्त्रता'' का अर्थ व्यक्ति ने जिस कर्म को करने के लिए चुना है, उसे करने में किसी **बाहरी** रुकावट से स्वतंत्रता होता है। कोई व्यक्ति जिस कर्म को करना चाहे, उसे करने में कोई रोक नहीं हो, तो वह स्वतंत्र है। ''स्वतन्त्रता'' की इस अवधारणा को, ''सामाजिक स्वतन्त्रता'' कहते हैं।

डी.डी. रैफेल के अनुसार, ''सामाजिक स्वतन्त्रता'' **व्यक्ति द्वारा चुने गए, या उस कर्म पर जिसे वह चुनता अगर वह यह जानता की वह चुन सकता है, रोक का अभाव है।** रैफेल के अनुसार यहाँ पर यह जोड़ना जरूरी है कि यह रुकांवट अवश्य ही या तो दूसरे व्यक्तियों के कर्मों द्वारा जान-बूझकर उत्पन्न की गयी होनी चाहिए, या दूसरों के संकल्पित कर्मों द्वारा उसे हटाना सम्भव होना चाहिए।[1] उदाहरण के तौर पर, अगर किसी

1. D. D. Raphael, *Problems of Political Philosophy* (HongKong : The Macmillan Press Ltd., 1978), p. 115.

Scanned with CamScanner

व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए, तो इससे उसकी स्वतन्त्रता का हनन होता है, क्योंकि यह रुकावट दूसरों द्वारा लगाए जाती है। दूसरी ओर, जब हम अभाव से स्वतन्त्रता की बात करते हैं, या हम कहते है कि मानवता को कैंसर से स्वतन्त्र किया जाना चाहिए, तो हम समझते हैं कि जिस रुकावट की हम बात कर रहे हैं, हालांकि वह मानव द्वारा लगायी नहीं गयी है, लेकिन उसे मानव प्रयत्नों द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर कोई रूकावट प्राकृतिक कारणों से हो तो हम यह नहीं कहेंगे कि व्यक्ति उसके कारण स्वतन्त्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर, हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य उड़ने में **समर्थ** नहीं है, लेकिन यह नहीं कि मनुष्य को उड़ने की **सामाजिक स्वतन्त्रता** नहीं है।

जब हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्वतन्त्रता की बात करते हैं, तो दो प्रश्न उठाए जा सकते हैं: किस कार्य को करने की स्वतन्त्रता? और किस बात से स्वतन्त्रता? पहला प्रश्न यह है कि वे किस किस्म के कर्म हैं जिन पर रूकावट नहीं रहनी चाहिएं। जबकि दूसरा प्रश्न यह सवाल उठाता है कि वह कौन-सी रुकावट है जिसे हटाना है।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट और इंगलैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा जारी की गयी अटलांटिक चार्टर में "चार स्वतन्त्राओं" की चर्चा की गयी थी:

(1) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(2) उपासना की स्वतन्त्रता

(3) भय से स्वतन्त्रता, और

(4) अभाव से स्वतन्त्रता

इनमें से पहली दो स्वतन्त्रताओं का सम्बन्ध उन कर्मों से है जिन पर रुकावट नहीं रहनी चाहिए, जबकि बाद की दो स्वतन्त्रताओं का सम्बन्ध उन रुकावटों से है, जिन्हें हटाया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता और कानून

राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है। हो सकता है व्यक्ति राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण कई ऐसे कार्यों को न कर पाए जिन्हें वह करना चाहता हो। कानून द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर लगायी गयी सीमाओं का उद्देश्य, या तो दूसरों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना हो सकता है, या फिर स्वतन्त्रता के अलावा किसी अन्य मूल्य को प्रोत्साहन देना। कानून द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगायी गयी सीमाएँ कभी उचित और आवश्यक भी हो सकती हैं, और कभी अनुचित ओर अनावश्यक भी। लोकतान्त्रिक राज्य में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। नागरिकों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और राज्य द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर कम से कम सीमाएँ लगायी जाएँ—यही लोकतान्त्रिक आदर्श है। लेकिन, विस्तार में जाने पर, यह सीमा ठीक कब और कितनी होनी चाहिए, यह राजनीतिक विचारकों के बीच विवाद का विषय भी रहा है।

राजनीतिक चिन्तन में, खास कर लोकतांत्रिक चिन्तनधारा के अन्तर्गत, नागरिक के अधिकारों पर बहुत बल दिया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार को भी नागरिकों के अधिकार के रूप में मान्यता मिली हुई है। कई बार नागरिकों के अधिकारों को राज्य से पूर्व, जन्मजात

Scanned with CamScanner

और प्राकृतिक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, सतरहवीं शताब्दी के लोकतंत्र समर्थक ब्रिटिश दार्शनिक लॉक ने जीवन के अधिकार, **स्वतंत्रता** और सम्पत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। अमरीकी संविधान में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की तलाश के अधिकार को जन्मजात माना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा-पत्र के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से एक समान हैं। अधिकारों के स्रोत के बारे में राजनीतिक चिन्तन में कई सिद्धान्त हैं। एक मत के अनुसार अधिकार जन्मजात या प्राकृतिक नहीं, बल्कि **वैधानिक** होते हैं। इस मत के अनुसार राज्य जिन माँगों को स्वीकार करे, और जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वही अधिकार है।

कभी-कभी कुछ नागरिक अधिकारों को मौलिक अधिकार (fundamental rights) कह कर अधिक महत्त्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक या मूल अधिकार की चर्चा है। स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। **स्वतंत्रता के अधिकार** के अन्तर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना शस्त्रों के शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, राज्य के किसी क्षेत्र में निवास करने, आजीविका अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा, इसका सम्बन्ध ''कानून के शासन'' (rule of law) की अवधारणा से भी है; जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता मिली हुई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छिनती या कम करती है। नागरिकों की बुनियादी स्वंतत्रताओं को ''नागरिक स्वतंत्रता'' (civil liberties) भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत मानव-अधिकार घोषणा-पत्र में भी इन स्वतंत्रताओं को ''मानव अधिकारों'' के रूप में मान्यता मिली हुई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (U. N. Charter) में मानव अधिकारों (Human Rights) का उल्लेख आया है, और अभिव्यक्ति, उपासना एवं शान्तिमय प्रदर्शन की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में मान्यता दी गयी है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights) के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। घोषणा-पत्र में उल्लिखित अधिकारों में विचारों, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

स्वतन्त्रता पर मिल के विचार

जॉन स्टुअर्ट मिल उन्नसवीं शताब्दी के एक अंग्रेज उपयोगितावादी दार्शनिक हैं। मिल ने अपनी पुस्तक *On Liberty* में विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थन किया है। मिल के अनुसार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के सुख में वृद्धि करना। यही उसके अस्तित्व का औचित्य है। मिल की राय में राज्य व्यक्ति के निजी मामलों में कम-से-कम हस्तक्षेप द्वारा ही उनके सुख में वृद्धि कर सकता है। मिल के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता मानव सुख और व्यक्ति एवं समाज के विकास का मुख्य तत्त्व है। मिल की राय में ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्ति के आचरण का प्रभाव समुदाय पर नहीं पड़ता हो, व्यक्ति

Scanned with CamScanner

को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जबकि ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्ति के आचरण का प्रभाव समुदाय पर पड़ता हो, वहाँ अगर व्यक्ति का आचरण समुदाय के कल्याण के विरुद्ध हो, तो समुदाय को व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने का अधिकार है। मिल के अनुसार सिर्फ दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगायी जानी चाहिए।

मिल के अनुसार **दूसरों को नुकसान से बचाना ही एक वह एकमात्र लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना उचित है।** अगर किसी व्यक्ति का कोई कर्म ऐसा है, जिससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता हो, तो उस पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिए, चाहे भले उस कर्म से स्वयं उस व्यक्ति को नुकसान क्यों न पहुँचता हो। मिल के अनुसार ऐसे दृष्टांतों में व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। समाज या राज्य को व्यक्ति के सिर्फ ऐसे ही कर्मों पर रोक लगाने का अधिकार है, जिसका असर दूसरों पर पड़ता हो, और जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचता हो। जहाँ तक व्यक्ति के ऐसे कर्मों का सवाल है, जिनका असर स्वयं उस तक ही सीमित हो, तो व्यक्ति को अपने शरीर और दिमाग का मालिक स्वयं माना जाना चाहिए। मिल ने कानून के सार्वजनिक दायरे और नैतिकता के निजी क्षेत्र के बीच अन्तर किया है, और कानून द्वारा बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देने की वकालत की है।[1]

स्वतंत्रता की दो अवधारणाएँ

कुछ विचारकों द्वारा स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं की बात की गयी है। उनके द्वारा स्वतंत्रता की परम्परागत परिभाषा को निषेधात्मक कहा जाता है, और इसके एवं ''सकारात्मक स्वतंत्रता'' के बीच अन्तर किया जाता है। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अन्तर्गत चुनाव (*choice*) को केन्द्रीय महत्त्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, रिचर्ड नॉरमन के अनुसार यह सही है कि स्वतंत्रता के लिए दूसरे मनुष्यों द्वारा बल-प्रयोग का **अभाव** जरूरी है, जैसा कि स्वतंत्रता की निषेधात्मक अवधारणा के अन्तर्गत कहा जाता है। लेकिन, अगर हम मात्र हस्तक्षेप के अभाव के निषेधात्मक तथ्य पर बल देने की बजाय **चुनाव** के सकारात्मक तथ्य पर बल देते हैं, तो हम इस तथ्य के प्रति न्याय कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए मात्र बल-प्रयोग के अभाव के अलावा कुछ और भी आवश्यक शर्तें होती हैं। सिर्फ अकेले छोड़ दिए जाने से कोई व्यक्ति चुनाव की अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ सकारात्मक भौतिक और सामाजिक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इस तरह, नॉरमन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है **सार्थक और कारगर चुनाव का, और उसके उपयोग की क्षमता का, उपलब्ध होना।** नॉरमैन के अनुसार जिनके पास सामाजिक शक्ति, धन और शिक्षा है वे अपने लिए चुनाव करने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होते हैं, और इसलिए वे अधिक स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकते हैं।[2]

Scanned with CamScanner